6-नोट

कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर (म.प्र.)

।। परिपत्र ।।

क्रं.. 07/दो–22–3/62 दिनांक : 18/07/2023

प्रायः देखने में आया है कि, जिला मुख्यालय पर प्रतिदिन किसी न किसी कर्मचारी के अवकाश पर होने के कारण न्यायालयों द्वारा उस कर्मचारी के स्थान पर अन्य कर्मचारी की ड्यूटी लगाये जाने हेतु मांग की जाती है, अतिरिक्त कर्मचारियों अनुपलब्धता के चलते न्यायालयों में कर्मचारी की ड्यूटी लगाये जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

इस संबंध में पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक–23 दिनांक 14.10.2022 का अवलोकन होवें। जिसके माध्यम से यह निर्देशित किया गया था कि "न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में साक्ष्य लेखक, स्टेनोग्राफर, एवं आसंजित लिपिक की ड्यूटी आवश्यकतानुसार किसी अन्य न्यायालय अथवा अनुभाग में लगाई जा सकेंगी। आसंजित लिपिक, प्रस्तुतकार, एवं निष्पादन लिपिक के अवकाश पर होने पर न्यायालय में उपलब्ध कर्मचारी से ही कार्य कराया जायें, अतिरिक्त कर्मचारी प्रदान नही किया जायेगा । **साथ ही ऐसे कर्मचारी जो कि न्यायालयों में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त आसंजित है उनकी भी ड्यूटी उनके पीठासीन अधिकारी के उपस्थित रहने पर भी, आवश्यकता होने पर किसी अन्य न्यायालय तथा अनुभाग में लगाई जावेगी।"**

किंतु उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा हैं, जिसके फलस्वरूप न्यायालय/अनुभागों में समय पर कर्मचारी के उपस्थित न होने के कारण कार्य प्रभावित होता है।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि, पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक–23 दिनांक 14.10.2022 में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही कर्मचारियों की ड्यूटी आवश्यकतानुसार लगायी जावेगी। उक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जावें।

sd/–

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सागर (म.प्र.)

क्रं.. 3441 / दो–22–3 / 62 दिनांक : 18/ 07 / 2023

<u>**प्रतिलिपि**</u> :–

1– समस्त पीठासीन / प्रभारी अधिकारी समस्त न्यायालय / अनुभाग, जिला मुख्यालय सागर

2– प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय सागर।

3– समस्त उप–प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय सागर।

4– निज सहायक, प्रधान जिला न्यायाधीश, सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

5– समस्त प्रस्तुतकार, निष्पादन लिपिक, साक्ष्य लेखक, स्टेनोग्राफर एवं आसंजित लिपिक समस्त न्यायालय / अनुभाग जिला मुख्यालय सागर की ओर पालनार्थ प्रेषित।

6– कम्प्यूटर अनुभाग सागर की ओर परिपत्र की प्रति सर्वसंबंधित को ई–माध्यम से प्रेषित किये जाने हेतु।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सागर (म.प्र.)